Annexure-II

Proceedings of Environmental Public Hearing conducted on dated: 07/10/2021 on the proposal submitted by Sh. Rakesh Kumar and Sh. Ajay Singh, Village & Post Office Ladori, Indora, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra HP for extraction of sand, stone & bajri (mining of minor minerals) at Khasra no. 1499/96 and 673 (Government land, River bed) for proposed area of 25-25-47 Hect., falling in Mauza/Mohal Bhaddal Uperli, Tehsil Dehra, Distt. Kangra, H.P.

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Rakesh Kumar and Sh. Ajay Singh, Village & Post Office Ladori, Indora, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra HP for extraction of sand, stone & bajri (mining of minor minerals) at Khasra no. 1499/96 and 673 (Government land, River bed) for proposed area of 25-25-47 Hect., falling in Mauza/Mohal Bhaddal Uperli, Tehsil Dehra, Distt. Kangra, H.P. was organized on 07/10/2021 in Community Hall (Samudayak Bhawan), Gram Panchayat Bhaddal, Post Office Thore, Tehsil Dehra, Distt. Kangra, H.P by H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala as per notification No-SO-1533 dated 14.09.2006. This public hearing was organized by the H.P. State Pollution Control Board under the Chairmanship of Sh. Rohit Rathour, ADM, Kangra at Dharamshala according to prescribed process of public hearing. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed (**Annexure-I**). The Tehsildar & Naib Tehsildar Dehra, officers/officials from Industry Department, Mining Department, Jal Shakti Department, Public Work Department, Director, KCCB Bank were present during the public hearing. Smt. Pushpa Devi, Hon'ble Zila Parishad Member, representatives of all nearby Panchayats, & local public of nearby Panchayats were also present during the public hearing.

First of all Dr. R.K. Nadda, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala welcomed the Chairman, officers and officials of various Departments, representatives of all Panchayats, local public, project proponents and their consultants. He requested everyone to express their views, comments, suggestions and objections regarding the proposal submitted without any fear and pressure, and Chairman was requested to kindly permit to start the Public Hearing.

The Chairman permitted to start the process of public hearing and requested the project proponent to give the detailed report of their mining lease. The detailed description regarding this proposed Mining Area and was given by the consultant of the Project Proponent. ADM, Kangra at Dharamshala-cum- Chairman Public Hearing Committee also requested the people present in this Environmental Public Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease without any fear and pressure from any corner.

Videography of the public hearing was carried out. Accordingly the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same are reproduced here as under.

Annexure - II

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
1.	Smt. Rachna Sharma, Pradhan Gram Panchayat Jambal, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	I want to ask you where will this crusher be located.	It was told by the consultant of the project that the material i.e. sand, stone and gravel will be sold in Himachal Pradesh and will not bw sent outside from Himachal Pradesh.
		The consultant of the project was asked by the Chairman to clarify the situation regarding the crusher?	Crusher will not be installed here. The material will be sold within Himachal Pradesh and will not be sent outside the State.
		The material will be lifted up from our Khad. You have come here for material only.	This is the material that the Government of Himachal Pradesh has auctioned the Government land.
		The consultant of the project was asked by the Chairman to clarify the status of the mining lease.	It was told by the consultant of the project that this material would be pickup from Khasra No.: 1499/96 and 673 Total area: 25-25-47 Hectare (Government land, River bed), Mauja/Mohal Badal Uparli, Tehsil Dehra, District Kangra, Himachal Pradesh.
2.	Sh. Ganpat Rai, Gram Panchayat Jambal, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	I am the owner of private land. My land is lying below this government land. My first question is that if you lift the material, then where will you do crushing? As you have mentioned that this is not a wild life sanctuary but it is a wild life sanctuary. There is no hunting here. The wild animals go to drink the water of Khad through this route which includes Pigs, Tigers, Cheetahs, Sambar, Deer and other species. Most of the animals here, be it domestic or stray, pass through this route and this is their pasture. This land will be mined up to 1 meter but the people of 1988 are witness to the fact that there were 100 to 200 years	It was told by the consultant of the project that there is no wild life sanctuary in the area of 05 k.m. In the Forest Conservation Act, all the species have been specified that which species is on the verge of extinction, so no such species of animals and plants have been found here and as you said that your land is on the edge and due to this project, it would be go into the water. It specified that according to the principle of mining, mining will be done in a scientific way. The method of mining is to dig one pit and leave the other pit empty. So that it gets filled in this monsoon. This reduces

		old plants here, which reached into dam due to the flood in 1988. If you do the mining to a depth of 1 meter, then the risk will increase. More than 100 meters of my own private land has been slided into Khad and the area below it is 625 kanal and all the land in the Jumble area is private land, it has gone in the flood. Tell the solution that it will not happen in future? Please tell about it safety.	the chances of floods. There is apprehension that no mining safe guards will be provided. However, where there are no chances for erosion by any means. The safety area is according to its width, it will be 15 mtr to 38 mtr outside in which mining will not be done. In spite of that, if silt comes from somewhere which is not worth selling, it will strengthen the edge and bed and these are all safe guards. There is a provision of 5 check dams even if there is no need.
		You will keep an area of 15 mtr. or 35 mtr. as a safe guard. My own land of 130 meters length has been washed in the flow of water and other people are also connected to it. There is no drainage at the downstream and this is the way for wild animals to go. If they change the way and if they go to the populated area, then peoples lives will be at risk. So, it should not be installed and we do not want mining from here.	
		Why are you not telling us the crushing point? Where the crushing will take place?	No crushing will be done here. It is for open sale.
		Give protection to our private land it should not washed out by flood. Other wild animals those come from here should not be disturbed and these should not enter into the populated area so that there is no danger.	Wherever it is needed, check dams will be provided.
		There are hills on both sides and the water of the hills comes in this Khad. If water is collected up to 1 meter depth, then how much water will flow away? Here, without any safety depth, pits have been made up to 300 meters.	According to the plan approved by the Mining Department, there is a provision for mining only up to 1 meter and the water table will not be disturbed.

		From where will the soil filling be done? If it comes, it will come from other private land only. It is a matter of showing money and power and it has to setup here. I have registered my objection.	During the monsoon season, water brings everything due to floods. This entire scheme has been approved by the Himachal Pradesh Government. As per Himachal Pradesh's Mining and Mineral Scheme 2013, all the Safe guards are included in this project.
3	Sh. Gurcharan Singh, Gram Panchayat Baddal, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	I want to ask the people who are present here, how many of you wants the material to be picked up from here. Who does not want, please raise his hand. You can see that people raised their hands and nobody wants this work to be done here. So, I request you that if the public wants that this work should not be done then it should not be done. This is only my request to you.	------------
4	Smt. Suman Sharma, Pradhan Gram Panchayat Baddal, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	Mrs. Suman Sharma first thanked the Chairman, all the officers, staff members of various departments and Pradhan, Up Pradhan, local residents of nearby villages and said as it is known that today meeting is whether stone crusher should be installed or not. In this context, this letter came about two months ago and we had informed our Panchayat and the other concerned Panchayats through the ward members in the Panchayat meeting. When their opinions were taken and 5 Panchayats (Dodara, Kanol, Jumble, Baddal, Bassi) are connected to this Khad. When everyone's views were taken in this matter, everyone objected that no stone crusher should be installed and	It was told by the consultant of the project that as you put the issue of drinking water that the water is not already sufficient for the people. There is a mining plan, when the survey report comes, it is seen that how far is the drinking water scheme from where this plan is being executed, how far is it from any bridge, nursery plantation. All this provisions are made. In which it is written that the drinking water schemes should not be less than 200 meters. Mining Plan is approved only after studying all the provisions. How much mining material is there on the basis of the Survey report? Mining is also necessary so that after filling the pit, the water does not

		no mining should be allowed here. Today we are only looking at the present circumstances but after 10 to 15 years the coming generation will have to face many problems. If the material of the Khad of my panchayat will go out, then the villagers have objection to it. Baddal Panchayat has 09 wards and population is around 4500. Most of the people could not come because of the program and asked me to express my views in front of the Chairman, Sir and I put all the things in front of you and they had same opinion that we will not allow stone crusher to be installed here. I have with me Mrs. Rachna ji, the Pradhan of Jumble Panchayat. In this context, 03 to 04 month ago, 4 to 5 panchayats had given in writing to the Sub-Divisional Officer (c) that these people were not in favor and project should not be allowed here. There is a drinking water tank in our Baddal Panchayat. From there water is supplied to many Panchayats. Even the Ghiyori Panchayat gets water from here. So, today there is such a shortage of water, in future the coming generation will have more problems. Some things are different on paper and reality is different. So it is requested to Chairman Sir that whatever the views of the public are, they should be considered deeply.	enter the adjoining land. Therefore, after seeing all these facts, this scheme has been approved by the Himachal Pradesh Government and its environmental clearance will be given only after keeping your views in mind.
5	Sh. Ashwani Kumar, Up-Pradhan Gram Panchayat	The drinking water tank should be 200 meters away; the Assistant Engineer should tell how far our	It was told by the Assistant Engineer, Jal Shakti Department that the water in the drinking water tank is coming

	Baddal, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	drinking water tank is from this Khad?	from the tubewell. The depth of extraction of water from the tubewell ranges from 90 to 100 mtr. This water is coming from a depth of 40 to 50 meters, therefore, mining will not any effect in it. It is not a source of water, it is a storage of water.
		Water comes in the gallery?	Assistant Engineer told that the gallery is out.
		I object, that there is School, Ground, Gaushala and Temple. Water supply to Baddal, Bhuala, Bassi, Mandi, Pukkhar, Ghiori areas goes through this Khad. If you come with me I will tell you from where the water is coming from and it connects Dodra, Samdoli, Baddal and 8 to 9 villages and when there will be mining the water supply will be disturbed which lead to water shortage. We already face water shortage in Summers. Therefore, you are requested to take a decision keeping these things of Public in mind.	It was told by the consultant of the project that mining has been approved up to 1 mtr depth. The water table will not be disturbed during mining because if the water table is not encountered then the water supply will not be affected.
6	Sh. Preet Singh, Gram Panchayat Baddal, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	Chairman Sir, which so ever is discussed about the rig. There are 5 to 6 rigs installed in this Khad and already told about the one meter depth of mining and main pipeline is passing through the middle of the mining area. Now if you dig here, everything will be broken away. If you will dig in the middle, then the main line of drinking water which is in the middle of the mining area and goes from Khad to Swana, Chintpurani, then what will happen to	It was told by the consultant of the project that the entire safe guards would be provided by the project owner to ensure that the water line is not obstructed in any way. When the pits are filled, the entire line will be covered in the same way.

		it?	
7	Sh. Ashwani Kumar, Up-Pradhan Gram Panchayat Baddal, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	As they are saying that they will make sure that pipes will not be moved. There is so much water in the Khad in monsoons that people go out of their homes. If you come with me, I will show you that all the private land has been washed away and when we approach any MLA, Pradhan or anyone else, they said that they cannot do anything in this matter. So where we will go? The land has been washed away. Who will put the retaining wall? Where these people will go?	--------------
8	Sh. Gurcharan Singh, Gram Panchayat Baddal, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	When the general public wants this work should not be done, then what is the answer?	It was told by the consultant of the project that there should be reason for the public not in favour of Project. If there is any loss to the environment due to this project, then we have come for it and will provide complete safe guards for it. The public is going to be benefited directly and indirectly from this project, the environment will also be benefited.
		The platform has been kept for the public and the public is refusing, so why is it being setup?	It was told by the Chairman that no coercion is being done. That's why I have been posted here that your thoughts should be recorded properly.
		We do not get any benefit from this, it is a loss. We cannot take a single stone from Khad. If all this material is going out, then it is no use to us.	It was told by the consultant of the project that all the Safe guards would be incorporated. It is not that after getting the environmental clearance, they will get a license to spread pollution. The Environmental

			Assessment is done after every six months and the representative of Central Pollution Control Board comes from Dehradun to visit the site to check that the conditions of Environmental Clearance are being complied or not.
9	Sh. Ganpat Rai, Gram Panchayat Jambal, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	Chairman Sir, my village is Jumble and there are 07 patients of cancer. Out of which 04 have died and 03 are still suffering. As told by the consultant of the project that this project will be painful for the respiratory patients. We can report here at least 20 people who are suffering from respiratory diseases. So what is the provision for them?	It was told by the consultant of the project that after coming of this project there is no such parameter which tells about air quality leading to asthma etc. After commissioning of the project, the air quality parameters are as per the norms of Central Pollution Control Board and these will be continuously monitored.
		I want all the people sitting that those who do not want mining to be done here, they should stand up and tell. The people stood up and express their resistance. He said these few people who are sitting are not related to this palace but 4 to 5 kms away from Rodi Kodi Panchayat. All the other nearby people have expressed their resistance. Therefore, it is requested to Chairman Sir, that the department should take its decision in view of this.	--------------
10	Smt. Priti Thakur, Gram Panchayat Ridhi Kodhi, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	Most of the people here belong to the Gram Panchayat Baddal, I want to ask whether people other than Baddal have the right to present their views? If yes, then I want to tell that whatever their complaints are, these should be addressed. They are telling	It was told by the consultant of the project that material will be extracted in 5 years, then the amount at the rate of Rs 10 per/ton will go to the District Mineral Fund and its Chairman is Deputy Commissioner Kangra. This fund will be utilized in

		that as if there are no retaining wall, then retaining walls will be provided wherever required. I want to tell that an industrial area is likely to be setup in Channour Village. All the people are happy that they will get employment. There is no Crusher here. But, if we get goods cheaper here, then it will be beneficial. As you are telling if there is any problem then it will be solved. Electricity problem will be solved. This should happen after promoter gets all the permissions from concerned Departments.. If there is any development, it should be allowed.	the development of the concerned Panchayats.
11	Sh. Rajesh Kumar, Gram Panchayat Bassi, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	I am 41 years old. When there was a flood in 1988 for the same reason, then people ran away from their homes. Today the situation is fine, but when water comes from upper Chintpurani, as the area is open here and almost government land. But the area below, where Raja Sahib's land and is mostly private land, and is less government land, then whole land will be washed out by flood. When the water comes, people leave their houses and go up to the hills. We are one of them. Right now the situation is fine, but in the rainy season, the water level will increase and destroy everything. Therefore, this situation should be kept in mind so that the people of the lower Panchayats do not get affected.	It was told by the consultant of the project that the flood of 1988 was flash flood and it is a natural and can be happened at any time. But there will be no effect from this mining scheme in case of normal rainfall.
12	Sh. Raghubir Patiyal, Up-Pradhan	Chairmans Sir, there is 400 meters road which leads to Jamble. The	

	Gram Panchayat Kanol, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	survey of this road has been conducted and Rs. 03 crore has also been approved. The width of the Khad is not 01 km, but the length is definitely 01 Km. So how the mining will be done? If we are looking about plantation, then the Forest Department has already got the plantation done here. We had passed a resolution on behalf of Gram Panchayat Kanol through Gram Sabha that mining should not be allowed in Baddal Khad.	-----------
13	Sh. Ashwani Kumar, Up-Pradhan Gram Panchayat Baddal, Tehsil Dehra, District Kangra H.P.	I welcome the words of Madam and urge to set up a factory here, we thank you from the verycore of my heart. There is no use of installing a crusher here.	It was told by the consultant of the project that only Government of Himachal Pradesh can take a decision regarding the establishment of factory.

In addition, written Issues/suggestions were received during the public hearing, which are enclosed herewith as Annexure-II.

After this, the Chairman thanked all those who were present during the public hearing and said that the suggestions were given by the public without any fear and pressure. This all has been recorded in written and by videography also. This will be sent to Govt. of Himachal Pradesh and further decision shall be taken by the Ministry of Environment, Forest & Climate Change. At last, the Chairman thanked all the Officers, Officials of various Departments and Pradhan, Up-Pradhan of nearby villages and local residents.

At the end, Dr. R.K. Nadda, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board thanked all the officers of different Departments and the public for attending the Public Hearing and concluded the public hearing.

Additional District Magistrate
Kangra at Dharamshala
District Kangra (H.P.)

Annexure - III

श्री राकेश कुमार व श्री अजय कुमार ग्राम व डाकघर लदोडी इन्दौरा, तहसील नुरपूर जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 1499/96 और 673 कुल क्षेत्रफल 25–25–47 हैक्टेयर (सरकारी भूमि, नदी पटटा), मौजा/मोहाल बडल उपरली, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर दिनांकः 07.10.2021 को सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन संबधी कार्यवाही का विवरणः

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.10.2021 को प्रातः 11:30 बजे सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत बडल उपरली, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में श्री राकेश कुमार व श्री अजय कुमार ग्राम व डाकघर लदोडी इन्दौरा, तहसील नुरपूर जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 1499/96 और 673 कुल क्षेत्रफल 25–25–47 हैक्टेयर (सरकारी भूमि, नदी पटटा), मौजा/मोहाल बडल उपरली, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर दिनांकः 07.10.2021 को सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई अतिरिक्त, जिला दण्डाधिकारी जिला कांगडा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक–1 पर उपलब्ध है। इस जन–सुनवाई के दौरान तहसीलदार व नायव तहसीलदार देहरा, उधोग विभाग धर्मशाला, खनन विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, निदेशक के0सी0सी बैंक व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। श्रीमति पुष्पा देवी, स्थानीय जिला परिषद सदस्या, निकटवर्ती गावों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय जनता भी जनसुनवाई में उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम डा0 आर0 के0 नडडा, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रकिया आरंभ की गई और कहा गया कि इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भी परियोजना की जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। और कहा गया कि इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किये जा सकते हैं। इसके उपरान्त परियोजना के परामर्शदाता को परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाने हेतू कहा गया । परियोजना के परामर्शदाता द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुददों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क. सं.	नाम व पता	मुददे	उठाए गए मुददों पर टिप्पणी
1.	श्रीमति रचना शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत जम्बल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	मै आपसे पूछना चाहती हूं कि यह कशर कहां लगेगा ?	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यहां जो मैटीरियल रैत, पत्थर और बजरी है। वह बेचा जाएगा और हि0प्र0 से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा।
		अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के परामर्शदाता कशर बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतू कहा गया।	यहां पर कशर नहीं लगाया जाएगा। मैटीरियल को हिमाचल प्रदेश के अन्दर बेचा जाएगा बाहर नही जाएगा।
		मैटीरियल हमारी खडडों से उठाया जाएगा। यहां सिर्फ मैटीरियल के लिए आए है।	यह वह मैटीरियल है जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि की नीलामी की है।

Annexure – III

		अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के परामर्शदाता को खनन पटटे की स्थिति स्पष्ट करने हेतू कहा गया।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यह मैटीरियल खसरा संख्या: 1499/96 और 673 जिसका कुल क्षेत्रफल 25–25–47 हैक्टेयर (सरकारी भूमि, नदी पटटा), मौजा/मोहाल बडल उपरली, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से उठाया जाएगा।
2	श्री गणपत राय, ग्राम पंचायत जम्बल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	मैं निजी भूमि का मालिक हूं। मेरी जमीन इस सरकारी जमीन से नीचे लगती है। मेरा प्रथम प्रश्न है कि यदि मैटिरीयल लेकर जाएगें तो क्रशिंग कहां पर करेगें। जैसा कि आपने बताया कि यह वाल्इड लाइफ सैन्चुरी नहीं है परन्तु यह वाल्इड लाइफ सैन्चुरी है। यहां पर कोई भी शिकार नही होता है। यहां के जंगली जानवर इसी रास्ते से खडड का पानी पीने जाते हैं। जिसमें सुअर, बाघ, चीता, साम्बर, हिरण व अन्य प्रजातियां हैं। अधिकतर यहां के पशु चाहे वह पालतु हो या आवारा हो इसी रास्ते से होकर जाते हैं और यह उनके चरागाह हैं। इस जमीन का खनन 1 मीटर तक करते है 1988 के लोग यहां इस बात के गवाह है जों यहां 100 से 200 बर्ष पुराने पौधे थे वह 1988 में आये वहाव में बह कर डैम में पहुंच गये थे और यदि आप 1 मीटर की गहराई तक खनन करते हैं तो खतरा और बढ़ जाएगा। मेरी खुद की 100 मीटर से ज्यादा निजी भूमि इस खडड के वहाव में वह गई थी और इसके नीचे जो 625 कनाल को क्षेत्र है और जम्बल क्षेत्र में सारी भूमि निजी भूमि है वह बहाव में वह गई है। इसका समाधान बताए कि भविष्य में वह न बहे। इसकी सुरक्षा के बारे में बताया जाए। आप 15 मी0 या 35 मी0 का क्षेत्र सैफ गार्ड रखेगें। मेरी खुद की 130 मी0 लम्बाई की भूमि बहाव मे वह गई है और अन्य लोग भी इससे जुडे हैं। नीचे की तरफ कोई भी निकासी नहीं है और यह जंगली जानवरों के जाने का रास्ता है। यदि वह रास्ता बदलेगें तो वह जानवर आबादी क्षेत्र में जाएगें तो लोगों की जान को जोखिम होगा। तो यह नहीं लगना चाहिए और हम नही चाहते है कि यहां से खनन हो।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यहां 05 कि0मी0 के क्षेत्र में कोई भी वाल्इड लाइफ सैन्चुरी नहीं है। फारेस्ट कन्जरवेनशन एक्ट में सारी प्रजातियां बताई गई है कि कौन सी प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है तो यहां जानवरों और पौधों की ऐसी कोई भी प्रजाति नहीं पाई गई है और जैसा आपने कहा कि आपकी भूमि किनारे पर है और इस परियोजना के कारण पानी में वह जाएगी। खनन के सिदांत के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से खनन होगा। खनन करने का तरीका है कि एक खडडे को खोदना है और दूसरे खडडे को खाली रखना है। ताकि इस मानसून में वह भरता जाए। इससे बाढ़ के अवसर कम कर दिए जाते है। ऐसी कोई आंशका नहीं है कि माइनिंग सैफ गार्ड प्रदान किए जाएगें। हालांकि जहां किसी तरह से वहाव से अपरदन के अवसर नही हैं। सैफटी क्षेत्र इसकी चौड़ाई के अनुसार होता है वह 15 मी0 से 38 मी0 बाहर होगा जिसमें खनन नहीं किया जाएगा। उसकें बाबजूद भी यदि कहीं से सिल्ट आती है जो बेचने लायक नही है उससे किनारे व वैड को मजबूत किया जाएगा और वह सारे सैफ गार्ड है। जरुरत न होने के बाबजूद भी 05 चैक डैम का प्राबधान है।
		आप हमें क्रशिंग प्लाइट क्यों नहीं बता रहे है। क्रशिंग कहां होगी?	यह क्रशिंग नही करेंगे। यह खुली बेचने के लिए है।

		हमारी निजी भूमि को सुरक्षा दे कि वह नही वहनी चाहिए और दूसरा जो जंगली जानवर यहां से आते जाते है उन्हें परेशानी न हो और वह आबादी में न जाएं ताकि कोई खतरा न हो।	जहां पर जरुरत होगी वहां चैक डैम बना दिए जाएगें।
		यहां दोनों तरफ पहाड़ियां है और पहाडियों का पानी इस खडड में आता है। 1 मी0 गहराई तक पानी डम्प होगा तो कितना बहाब होगा। यहां बिना गहराई के ही 300 मीटर तक खडडे बन गये है।	खनन विभाग द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार 1 मी0 तक खनन का ही प्रावधान है और पानी का संतुलन खराब नहीं होगा।
		मिटटी का भराव कहां से होगा। यदि आएगी तो अन्य निजी भूमि से ही आएगी। यह तो पैसे बल दिखाने की बात है यहां लगाना ही है। मैने अपनी आप्पति दर्ज कर दी है।	मानसून सीजन में पानी बाढ के कारण सारी चीजें साथ में लेकर आता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह सारी योजना को स्वीकृत किया है यह हिमाचल प्रदेश की माईनिंग एवं मिनरल योजना 2013 में जो भी सैफगार्ड है सारे इस परियोजना में शामिल है।
3	श्री गुरचरण सिंह, गांव बडडल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	मै आये हुये लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन–2 चाहता है कि यहां से मैटीरियल उठाया जाए। जो नही चाहता है वह अपना हाथ उठा कर बताएं। आप देख सकते है कि लोगों द्वारा हाथ उठाकर बताया गया है कि यहां कोई नही चाहता है कि यह काम यहां पर हो। तो आपसे अनुरोध है कि यदि जनता चाहती है कि यह काम नही होना चाहिए तो नही होना चाहिए। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है।	————————
4	श्रीमति सुमन शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत बडडल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	श्रीमति सुमन शर्मा द्वारा सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण एवं नजदीकी गांवों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और कहा जैसा कि विदित है कि आज की बैठक है कि स्टोन कशर लगना चाहिए की नहीं। इसके सन्दर्भ में यह पत्र लगभग 2 महीने पहले आया था और हमने पंचायत बैठक में वार्ड सदस्यों द्वारा अपनी तथा सम्बन्धित पंचायत को सूचित किया था। जब इनकी राय ली गई और इस खडड से 05 पंचायते(दोदरा, कनोल, जम्बल, बडडल, बस्सी) जुडी हुई हैं। इसमें सबके विचार लिए गये तो सभी ने आपति दर्ज की कि यहां पर कोई भी स्टोन कशर व माइनिंग नही होनी चाहिए। आज हम सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों को देख रहे हैं परन्तु 10 से 15	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि जैसा कि आपने पेयजल का मुददा रखा कि पानी पहले ही पूरा नही होता अब कैसे होगा। यह जो खनन योजना है जिस समय सर्वे की रिपोर्ट आती है तो इसमें देखा जाता है कि यह योजना जहां कियान्वयन हो रही है वहां से पेयजल योजना कितनी दूर है किसी पुल, नर्सरी वृक्षारोपण से कितनी दूर है।यह सारा प्राबधान होता है। जिसमें लिखा है कि पानी पेयजल योजना 200 मी0 से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए। यह सारे प्रावधान के बाद ही यह सब कुछ मिलता है सर्बे रिपार्ट के आधार पर कितना खनन मैटीरियल है। खनन जरुरी भी है ताकि खडड भरने के बाद पानी साथ लगती जमीन में न जाए। इसलिए यह सारे तथ्य देखने के बाद यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृत हुई है और इसकी पर्यावरण मंजूरी आपके विचारों

		बर्ष बाद आने वाल पीढी को कई परेशानियों से जूझना पड़ेगा। मेरी पंचायतों के खडड का मैटिरीयल बाहर जाएगा, तो इसमें ग्रांमबासियों को आपति है। बडडल पंचायत में 09 बार्ड है और लगभग 4500 जनसंख्या है। कार्यकम होने के कारण अधिकतर लोग आ नही पाये और मेरे माध्यम से महोदय के सामने विचार प्रकट करने के लिए कहा और मैने सारी बाते आपके सामने रखी और उनका यही मत है कि हम यहां पर स्टोन कशर नही लगने देगें। मेरे साथ जम्बल के प्रधान श्रीमति रचना जी है मैने उनके भी विचार लिए तो वहां के लोग भी इसे नहीं लगने देना चाहते है। इसमें तीन चार महीने पहले चार–पांच पंचायतों द्वारा उपमण्डलाधिकारी (ना0) को लिखित में दिया था कि वह लोग पक्ष में नहीं थे और यहां नही लगने देना चाहिए। हमारे बडडल में एक पेयजल टैंक है । वहां से काफी पंचायतो को पानी की सप्लाई जाती है। यहां तक की घियोरी पंचायत को भी यहां से पानी जाता है। तो आज ही पानी की इतनी किल्लत हो जाती है भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ओर ज्यादा परेशानी होगी। महोदय कुछ चीजे कागजों में अलग होती है और वास्तिवकता अलग होती है। तो महोदय से अनुरोध है कि पब्लिक के जो भी विचार है उन पर गहराई से अमल करें।	के मध्यनजर रखने के उपरान्त ही होगी।
5	श्री अश्वनी कुमार, उपप्रधान, ग्रांम पंचायत बडडल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	200 मी0 पेयजल टैंक दूर होना चाहिए सहायक अभियन्ता बताए कि हमारा यह टैंक खडड से कितनी दूर है?	सहायक अभियन्ता, जल शक्ति विभाग द्वारा बताया गया कि पेयजल टैंक में पानी टयूबवैल से आ रहा है। टयूबवैल से पानी निकालने की गहराई 90 से 100 मी0 तक होती है। यह पानी 40 से 50 मी0 की गहराई से आ रहा है तो खनन से इसमें कोई परेशानी नही आएगी। यह पानी का स्रोत नही है यह पानी का भण्डारण है।
		गैलरी के अन्दर पानी आता है	सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया गैलरी बाहर है।
		मुझे आप्पति है कि स्कूल, मैदान, गउशला और मंदिर हैं। बडडल, भुआला, बस्सी, मंडी, पुख्खर, घियोरी क्षेत्र को पानी की सप्लाई इसी खडड से जाती है। आप मेरे साथ चले मैं आपको बताउगां कि पानी कहां से आ रहा है और यदि इसे हिलाएंगें तो दोदरा,	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि खनन 1 मी0 गहराई तक स्वीकृत हुआ है। खनन करते समय पानी का संतूलन खराब नहीं होगा क्योंकि पानी के टेवल का नहीं छेड़ना है तो पानी की सप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

		समड़ोली, बडडल और 8 से 9 गाबों को जोड़ती है और जब यह खनन करेगें तो पानी की सप्लाई हिल जाएगी जिससे पानी की किल्लत हो जाएगी। हमें पहले ही गर्मियों में पानी की किल्लत, परेशानी होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लें।	
6	श्री प्रीत सिंह, ग्रांम पंचायत बडडल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	महादेय जो रिग की बात की जा रही है इस खडड में नीचे 5 से 6 रिग लगे हुए हैं और जो 1 मी0 गहराई बता रहे है जो मेन लाईन के बीच से उपर की ओर आ रही है और यह इस खडड के बीच से आ रही है। अब यहां पर खुदाई करेंगें तो सारी टुट जाएगी। जैसे यह कह रहे है कि बीच में खुदाई करेगें तो पेयजल की मेन लाईन बीच में है और यह खडड से स्वाना, चिंतपुरणी तक जाती है तो उसका क्या होगा?	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यह जो पेयजल पाईप जा रही है परियोजना के मालिक द्वारा उसके लिए पूरे सैफ गार्ड उपलब्ध करवाए जाएगें कि पानी की लाईन किसी तरह से वाधित न हो। जब गडडे भरते जाएगें तो वह सारी लाईन उसी तरह से कवर हो जाएगी।
7	श्री अश्वनी कुमार, उपप्रधान ग्रांम पंचायत बडडल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	जैसा यह बोल रहे है कि पाईप नहीं हिलाएगें पूरा पक्का करेगें बरसात में इतना पानी आता है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। आप मेरे साथ चलें मै आपको दिखाउगां कि सारी निजी भूमि बह गई है। किसी भी विधायक, प्रधान व अन्य किसी के पास जाए तो कहा जाता है कि हम इसमें कुछ नही कर सकते है। तो कौन करेगा? जमीन बह गई है। डंगें लगने है कौन लगाएगा? यह लोग कहां जाएगें?	————
8	श्री गुरचरण सिंह, गांव बडडल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	महादेय जब आम जनता चाहती यह काम नही होना चाहिए तो इसका क्या जबाब है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि जनता के नही चाहने का भी कोई कारण होता है। इस परियोजना से पर्यावरण को कोई नुकसान होता है तो हम उसके लिए आए है और इसका पूरा सैफ गार्ड उपलब्ध करेगें। इस परियोजना से जनता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से लाभ होने वाला है पर्यावरण को भी लाभ होगा।
		पब्लिक के लिए मंच रखा है और पब्लिक मना कर रही है तो क्यों इसे जबरदस्ती लगाया जा रहा है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि कोई भी जबरदस्ती नही की जा रही है। मेरी इसलिए यहां पर डयूटी लगाई है कि आपके विचारों को सही तरीके से दर्ज किया जाए।
		इससे हमें कोई भी फायदा नही है। उल्टा नुकसान है। खडड से हम एक भी पत्थर नही ले जा सकते है। यह मैटीरियल सारा बाहर जा रहा है तो इसका हमें कोई	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि सारे सैफ गार्ड शामिल किए जाएगें। ऐसा नही है कि पर्यावरण मंजूरी के बाद इन्हे प्रदूषण फैलाने का लाईसैंस मिल जाएगा। इसमें हर 06 माह बाद पर्यावरण आंकलन होता है और मौके पर

		फायदा नही है।	केंद्रीय पर्यावरण विभाग देहरादून से आकर देखते है कि पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का पालन हो रहा है।
9	श्री गणपत राय, ग्राम पंचायत जम्बल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	महोदय मेरा गांव जम्बल है और यहां 07 कैस कैसंर के हैं। जिनमें 04 की मृत्यु हो चुकी है और 03 अभी भी पीड़ित है जैसा कि परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यह परियोजना सांस के रोगियों के लिए तकलीफदेय होगा। हम यहां कम से कम 20 लोगों की रिपोर्ट दे सकते है जो कि सांस की बीमारी से ग्रस्त है। तो उनके लिए क्या प्रावधान है?	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के आने के बाद वायु गुणवता जो अस्थमा आदि के बारे में बताता है ऐसा कोई मापदंड नही है। परियोजना लगने के बाद वायु गुणवता के मापदण्ड केंद्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के मापदण्डों के अनुसार है और उनकी जांच लगातार होती है।
		मैं बैठे सभी लोगों से चाहता हूं कि जो नही चाहते है कि यहां से खनन हो वह खडे होकर बताए। लोगों द्वारा खडे होकर इस परियोजना का विरोध जताया। उन्होने कहा कि यह कुछ लोग जो बैठे हैं वह यहां से सम्बन्धित नही है ब्लकि 4 से 5 कि0मी0 दूर रोडी कोडी पंचायत से है। बाकि सभी नजदीकी लोगों ने अपना विरोध जता दिया है। अतः महोदय से अनुरोध है कि विभाग इसे देखते हुए अपना निर्णय लें।	————
10	श्रीमति प्रीति ठाकुर, ग्राम पंचायत रोड़ी कोड़ी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	यहां अधिकतर लोग ग्राम पंचातय बडडल के है मै पूछना चाहती हूं कि बडडल के अलावा अन्य को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। अगर है तो बताना चाहती हूं कि इनकी जो भी शिकायते है। वह आप बता रहे है जैसे की डंगे नही है तो आपने कहा की डंगे लगा देगें। मै बताना चाहती हूं कि हमारे पास गांव में चन्नौर पड़ता है वहां पर आधौगिक क्षेत्र लग रहा है। तो वहां पर सभी लोग खुश है कि रोजगार मिलेगा। यहां कशर नहीं लग रहा है। पर यहां पर हमें सामान सस्ता पडेगा तो लाभ होगा। जैस कि आप बता रहे है कि कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। बिजली की समस्या का समाधान किया जाएगा। जब विभाग सारी मंजूरी ले रहा है तो यह होना चाहिए। यदि कोई विकास हो रहा है तो होने देना चाहिए।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि जैसा कि मैने बताया है कि 05 साल में कितना मैटीरियल निकलेगा तो 10 रु0 प्रति टन के हिसाब से जितना पैसा बनता है वह जिला मिनरल फंड में जाएगा और जिसके अध्यक्ष उपायुक्त कांगड़ा है। यह फंड सम्बन्धित पंचायतों के विकास पर खर्च होगा।
11	श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत बस्सी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	मेरी आयु 41 बर्ष है। जब 1988 में इसी कारण से बाढ आई थी तो लोग घरों से दूर भाग गए थे। आज तो स्थिति ठीक है लेकिन जब उपर चिन्तपुरणी से पानी आता	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि जैस 1988 के बाढ़ की बात की गई है वह अचानक आई बाढ़ है और प्राकृतिक है और कभी भी हो सकती है। पर ऐसा नहीं है कि सामान्य

		है तो यहां तो क्षेत्र खुला व सरकारी भूमि है परन्तु नीचे के क्षेत्र जहां राजा साहब की भूमि व अधिकतर निजी भूमि है, सरकारी भूमि कम है तो सारी भूमि बहाव में चली जाती है। जब पानी आता है साथ लगते घरों से निकलकर उपर पहाड़ियों में चले जाते है। हम भी उन्हीं में शामिल है। अभी स्थिति ठीक है परन्तु बरसात में पानी तवाही करता है। इसलिए इस स्थिति को ध्यान में रखा जाए ताकि नीचे की पंचायतों के लोग उजड़ न जाए।	बर्षा होने पर इस माईनिंग योजना से कोई प्रभाव नं पड़ेगा।
12	श्री रघुवीर सिंह पटियाल, उपप्रधान ग्राम पंचायत कनोल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	महोदय, यहां से 400 मी0 तक एक सड़क जम्बल में मिलती है। उसका सर्वेक्षण हो चुका है और 03 करोड़ रु0 भी स्वीकृत हो चुके है। यहां खडड की चौड़ाई 01 किमी0 नहीं है ब्लकि लम्बाई जरुर है। तो खनन कैसे होगा? वृक्षारोपण की बात कर रहे है तो बन विभाग ने पहले ही वृक्षारोपण करवाया है। हमने ग्रांम पंचायत कनोल की तरफ से ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव पास किया था कि बडडल खडड में माईनिंग नही होनी चाहिए।	————————
13	श्री अश्वनी कुमार, उपप्रधान, ग्रांम पंचायत बडडल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	मै यहां पर मैडम जी की बातो को स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि यहां पर फैक्टरी लगा दो हम आपका तहदिल से धन्यवाद करते है। क्रशर लगने का यहां कोई फायदा नहीं है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि फैक्टरी के सन्दर्भ में हि0 प्र0 सरकार ही निर्णय ले सकती है।

इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान लिखित में प्राप्त हुए सुझाव, विचार एवं शिकायतें, प्रपत्र–।। पर संलग्न है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी का धन्यावाद किया और कहा कि सभी द्वारा अपने सुझाव निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किए और इस बारे जो भी सुझाव दिए गये है, जिसकी संपूर्ण कार्यवाही को लिखित व वीडियोग्राफी द्वारा भी रिकार्ड किया गया है। जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण एवं नजदीकी गांवों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का जन सुनवाई में आने के लिए धन्यवाद किया।

अंत में डा0 आर0 के0 नडडा, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने का आभार प्रकट किया ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ,
जिला कांगड़ा हि.प्र.